26/7/23

पत्रावली प्राप्त हुई। वाद वादी द्वारा
पेश की कब्जा हानि की में स्थायी निषेधाज्ञा
का चुका ही प्रार्थना पत्र 12 RTA
का कोई औचित्य नहीं रहा अतः
ही प्रार्थी प्रार्थना पत्र 12 RTA
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर, नकल के बाद
होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर
हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner